कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक **1/0103/2025-ACAD-DHE I/839574/2026** भोपाल, दिनांक **24-02-2026**

प्रति,

1. कुलसचिव, समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

2. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय
अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश

3. प्राचार्य/संचालक एन.सी.टी.ई. के पाठयक्रम संचालन करने वाली समस्त संस्थाऐं ।

विषय:-प्रवेश सत्र **2026-27** की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की पूर्व तैयारी हेतु महाविद्यालय की प्रोफाइल अद्यतन एवं सत्यापन विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/ अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र **2026-27** में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अपने महाविद्यालय की प्रोफाइल को विभागीय प्रवेश पोर्टल पर अद्यतन कर सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं–

1. प्रत्येक महाविद्यालय दिनांक **04/03/2026** से **15/04/2026** तक विभागीय प्रवेश पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रोफाइल अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
2. समस्त महाविद्यालयों को उक्त पोर्टल पर लॉगिन करने के उपरांत अपनी महाविद्यालयीन प्रोफाइल में विगत वर्ष की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित होगी| जिनका परीक्षण कर आवश्यकतानुसार अद्यतन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
3. महाविद्यालय की अन्य जानकारी, जैसे प्राचार्य संबंधी, स्थान संबंधी, मोबाइल नम्बर, बैंक संबंधी जानकारी सहित अन्य आवश्यक संशोधन किया जा सकता है।
4. शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र **2026-27** में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय / विषय / डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा।
5. एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालय को एन.सी.टी.ई. से जारी मान्यता संबधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी संबद्धता प्रमाण पत्र एवं प्रवेश एवं शुल्क नियामक समिति द्वारा सत्र **2026-27** हेतु निर्धारित शुल्क की प्रमाणित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित / स्वीकृत सर्टिफिकेट कोर्स को भी ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य होगा।

7. सत्र **2026-27** के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता प्रमाण पत्र एवं सत्र **2026-27** में उच्च शिक्षा संचालनालय/जनभागीदारी समिति द्वारा शासकीय महाविद्यालय के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम एवं अशासकीय महाविद्यालयों हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विधि आदि पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित नियामक आयोग की अनुमति / निरंतरता अपलोड करना अनिवार्य होगा।

8. अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की प्रोफाइल को क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक व्दारा दिनांक **05/03/2026** से **17/04/2026** तक ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा।

9. संबंधित समस्त विश्वविद्यालयों के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/अशासकीय महाविद्यालय की प्रोफाइल को दिनांक **05/03/2026** से **24/04/2026** तक ऑनलाइन सत्यापित करना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित विश्वविद्यालयों को दिनांक **24/04/2026** तक महाविद्यालयीन प्रवेश प्रोफाइल को ऑनलाइन सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही सत्र **2026-27** की ई-प्रवेश प्रकिया के लिये महाविद्यालय ई-प्रवेश पोर्टल से सम्बद्ध हो सकेंगे।

11. एन.सी.टी.ई पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रोफाइल विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन पश्चात आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय स्तर पर गठित समिति के दस्तावेज परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये महाविद्यालयों ही सत्र **2026-27** की प्रवेश प्रक्रिया के लिये महाविद्यालय प्रवेश पोर्टल से सम्बद्ध हो सकेंगे

12. संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित महाविद्यालयीन प्रोफाइल में किसी भी प्रकार की जानकारी गलत होने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की होगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

Digitally signed by
Prabal Sepaha
Date: 24-02-2026
14:44:42

आयुक्त

उच्च शिक्षा म**0**प्र**0**

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी आई0टी0 शाखा उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु ।
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सम्बद्धता शाखा उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
6. प्रवेश एजेंसी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।